भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AFFIDAVIT

BP 329704

I/We DINESH PRATAP SINGH son of Mr. HARIHAR SINGH age 49 years Manager of the Thakurdeen Singh New Light Educational Society Sik-andarpur Ambedkar Nagar under section 21,1860 running the New Light [illegible]tery school do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows-

* That Thakurdeen Singh New Light Educational Society under section 21,1860 is a registered Society/Trust under the 21,1860 which society /trust is registred/secti on).
* That the Thakurdeen Singh New Light Educational S cieity under Section is 21, 1860 of Non-Properetary Character.
* That n o member if the scholl Management committee is related to each o t her.

* That the scholl is run as a community service and not as a busi-ness and that commericliaztion does not take palce in the school in any shape whatsoever.

* That no part of income from the institution shall be diverted to any individual in the Trust/Society/Company registered under section 20,1860 act of the companies act scholl Management comm-ittee or to any other person. The savings, ifany after meet-ing the recurring and non-recurring expenditure and contribu-tions to developmental depreciation and contigency funds may be further itulized for promoting the schoo.

* That scholl is not paying any charges towards using name, motto Lodo or any other non-acamemic activities to any other insti-titu on orgenization or body organization.

Cont..2

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Ligl.. Nursery School
Sikandarpur Ambedkar Naga

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 331425

* That the scholl will not will not open classes under CBSE partern perticularly class IX/X/XI/XII and will not use CBSE name in any mannof sighoug obtaining affiliation.

Place Ak b.
Date. 26 .6.018.

Signatur e certify by me.

Dinesh Pratap Singh
Signature

DEPONENT

Dinesh Pratap Singh

26-6-18

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Ligl.. Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Naga

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

पत्रांक:/मान्यता/ 2803-08 /2013-14 दिनांक 29-6-13

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 के नियम 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.10.2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को तारीख 29.06.2013 से तारीख 28.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम ,2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को ,उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक ,किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

G:\manyata\manyata cartificate1.doc

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Light Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Nagar

अनुसार तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित पता कोड संख्यांक.............................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निर्देशित दिनांक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेगें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो , को सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

29.6.13

(दल सिंगार यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,अम्बेडकरनगर।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Ligl.. Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Naga

G:\manyata\manyata cartificate1.doc

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकमित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया–कलापों में नियोजित नही करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

   अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है–

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 6300 वर्ग फुट
   कुल निर्मित क्षेत्र 4200 वर्ग फीट
   क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल 2600 वर्ग फुट
   कक्षाओं की संख्या 10
   प्राध्यापक सह–कार्यालय–सह भाड़ागार के लिए कक्ष 02
   बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है।
   पेय जल की सुविधा है।
   मिड डे मील पकाने के लिए रसोई —
   बाधा रहित पहुँच है
   अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कसी लोक न्याय द्वारा चालाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Ligl.. Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar N...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 50AD 083021

समक्ष,

श्रीमान् संयुक्त शिक्षा निदेशक,
वाराणसी मण्डल वाराणसी।

शपथ-पत्र

शपथपत्र मिनजानिब ~~xxxx~~ दिनेश प्रताप सिंह उम्र 49 साल पुत्र स्व० श्री हरिहर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट- सिकन्दरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर शपथ निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

1- यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।

2- यह कि शपथी ठाकुरदीन सिंह न्यू लाइट एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम व पोस्ट-सिकन्दरपुर अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित न्यू लाइट नर्सरी स्कूल का प्रबन्धक/सचिव है।

3- यह कि उक्त संस्था में एक ही व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है पूरी प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त संस्था का संचालन होता है।

4- यह कि उक्त संस्था में एक ही परिवार का कोई संचालन नहीं है पूरी प्रबन्ध समिति में भिन्न-भिन्न परिवारों से सदस्य व पदाधिकारी हैं।

सत्यापन

मैं शपथी उपरोक्त तस्दीक करता हूँ कि शपथपत्र की पैरा 1 लगायत 4 मेरे निजी जानकारी में सही है कोई बात गलत व झूठ नहीं है न ही छिपायी गयी है। इबारत तस्दीक मुकाम दीवानी तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर

दिनांक 31-8-018

शपथी

Dinesh Pratap Singh

मैं शपथी के 50 की पहचान करता हूँ।

MANAGER
... Nursery School
... Ambedkar Nagar

DEPONENT
IDENTIFIED BY

Dinesh Pratap Si...

31-8-18

AFFIXED TO B...
Notary ...

NOTARY
ADVOCATE
Akbarpur
Ambedkar Nagar
Regd. No.
GOVT. OF INDIA

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या – 5 भाग – 2

प्रपत्र संख्या / 43 ए (1)

(प्रस्तर 413 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा : भारतीय स्टेट बैंक, सिकन्दरपुर SBIN 0000...

बैंक का IFSC कोड : प्रधानाचार्य

जिस व्यक्ति (पद नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता : न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर अम्बेडकर नगर (उ० प्र०)

पंजीकरण संस्था / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) : ....

जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) : सी० बी० एस० ई० बोर्ड से मान्यता हेतु NOC प्राप्त करने के लिए

चालान की सकल राशि : ....

चालान की निबल राशि

लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा शीर्षक की मुहर

लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
02 – बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक		धनराशि अंकों में
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 2	0 1	हाईस्कूल संस्थागत परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	10,000/-
				0 2	हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
				0 3	इण्टरमीडिएट संस्थागत परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
				0 4	इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
				0 5	पंजीकरण शुल्क कक्षा–9	
				0 6	पंजीकरण शुल्क कक्षा–11	
				0 7	हाईस्कूल परीक्षा सम्निरीक्षा शुल्क	
				0 8	इण्टरमीडिएट परीक्षा सम्निरीक्षा शुल्क	
				0 9	कम्पार्टमेंट / इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
				1 0	अंकपत्र / प्रमाणपत्र / अस्थायित्व प्रमाणपत्र / माईग्रेशन प्रमाणपत्र आदि हेतु शुल्क	

धनराशि (शब्दों में) दस हजार रुपया मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

प्रधानाचार्य
न्यू लाइट एकेडमी नर्सरी स्कूल

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

नोट–1–जमाकर्ता विद्यालय द्वारा अपने जनपद कोड एवं विद्यालय कोड की संख्या व अंकीय User ID अपने नाम के पूर्व अंकित करना अनिवार्य है।
2–शुल्क जिस मद से सम्बन्धित हो उसकी धनराशि उसी मद के सम्मुख ही अंकित की जायेगी। एक चालान प्रपत्र से केवल एक ही मद की धनराशि जमा की जा सकती है। अलग–अलग मद की धनराशि हेतु अलग–अलग चालान प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा।

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

क्रम संख्या : 9400101 I 49496 अंकों में रुपये 10,000/-

दिनांक : .... शब्दों में रुपये ....

04 SEP 2018

Dinesh Pratap Singh
MANAGER
New Light Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Naga

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रांक सं0: 112 सी0एफ0ओ0/विद्यालय/भ0नि0/2018 दिनांक : 19-09-2018

औपबन्धिक (Provisional) अनापत्ति प्रमाण–पत्र

UID No.2018/51410./ABN/Ambedkar Nagar/168/CFO

प्रमाणित किया जाता है कि **न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर अम्बेडकरनगर** जिसमें तलों की संख्या–**02** भूतल का कवर्ड एरिया–**1510.15** वर्गमीटर, प्रथम तल की कवर्ड एरिया–**1510.15** वर्गमीटर तथा बेसमेन्ट–शून्य है। जिसकी ऊँचाई–6 मीटर तथा प्लाट एरिया–**6319.70** वर्गमीटर है। भवन का अधिभोग **श्री दिनेश प्रताप सिंह** द्वारा किया जायेगा । इनके द्वारा भवन अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो की आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है इस भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी शैक्षिक समूह बी–1 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात् भवन के अधिभोक के पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा ।

19/9/2018

(प्रदीप कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

3. प्रबन्धक/स्वामी, न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर अम्बेडकरनगर को उक्त के अनुक्रम में अनुपालनार्थ।
4. अग्निशमन अधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

Dinesh Pratap Singh

MANAGER
New Ligt.. Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Naga

(क)–<u>प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं</u> :–

1– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्स्टिंगग्यूसर) 2190–2005 के अनुसार व्यवस्थित किये जायेंगे ।

2– विद्यालय भवन में आपातकालीन टेलीफोन नं0 101,100 तथा सी0यू0जी0नं0 9454418718–19 पट्टिका पर अंकित किया जायेगा।

3– होजरील–प्रस्तावित किया जाता है चूँकि भवन भूतल एवं प्रथम तल का बना है।

4– टेरिस टैंक–प्रस्तावित किया जाता है चूँकि भवन भूतल एवं प्रथम तल का बना है।

5– टेरिस पम्प– प्रस्तावित किया जाता है चूँकि भवन भूतल एवं प्रथम तल का बना है।

6– वेटराइजर– प्रस्तावित किया जाता है चूँकि भवन भूतल एवं प्रथम तल का बना है।

नोट– उक्त प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें 90 दिवस के अन्दर व्यवस्थित किया जायेगा। 90 दिवस के बाद यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(प्रदीप कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

Dinesh Pratap Singh
MANAGER
New Ligl.. Nursery School
S...darpur, Ambedkar Naga

प्रमाण–पत्र

बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र सं0 मान्यता/7081/2009–10 दिनांक 3.3.10 एवं प्रबन्धक न्यू लाइट नर्सरी स्कूल सिकन्दरपुर–अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 17.10.2011 के क्रम में उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में निर्मित पक्के कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।

18/10/11

अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अम्बेडकरनगर

Dinesh Pratap Singh
MANAGER
New Ligl.. Nursery School
Sikandarpur, Ambedkar Naga